

राजस्थान सरकार



राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 153 सीकर/2006-2007

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नाथक बिधा सुकुल
बाभौड़ खालाडी प.स. लक्ष्मणगर जिला सीकर का राजस्थान

राज्या राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम सं 28, 1958) के अन्तर्गत राजिस्ट्रीकरण
आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक शुक्र माह अशुभ
सन दो हजार ८६ को सीकर में दिया गया।

राजस्थान सरकार
राजिस्ट्रार (सीकर)
सीकर